



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- 23 बी बी
पटवार हल्का :- बेरा
भू.अधि.वि.क्षेत्र :- बेरा
तहसील :- पदमपुर
जिला :- गंगानगर
कायतकार का नाम :-

अंतिम चौसला आधार संवत् :- 2071 - 2074
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 21
खाता संख्या पुराना :- 18/115

अंतिम चौसला आधार संवत् :- 2071-2074
जमाबंदी 2076 (वर्ष 2020) से स्थायी

- श्रीकृष्ण विद्यालय प्रबन्धक समिति पदमपुर व्यावस्थापक बलदेवराज परनामी पुत्र मुकन्दलाल हिस्सा- 39/49 जाति- अरोडा सा. पदमपुर खातेदार
- श्रीकृष्ण विद्यालय प्रबन्धक समिति पदमपुर मनीषकुमार पुत्र बलदेवराज हिस्सा- 10/49 जाति- अरोडा सा. पदमपुर खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल भूमि वर्गीकरण	क्षयक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
प.न. 0				स्वीकृत नामांतरकरण : 653 05/04/2021 उपहार	
मु.न. 3					
कि.न. 3/2	0.0510 नहरी	0.0510	0.45		
8	0.2530 नहरी	0.2530	2.25		
13	0.2530 नहरी	0.2530	2.25		
14	0.2200 नहरी	0.2200	0.17		
15/1	0.2230 नहरी	0.2230	0.12		
कुल किता : 5	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल नहरी	0.7900	4.35		
कुल किता : 5	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल नहरी	0.7900	4.35		
कुल खसरे -5	0.7900		4.3500		

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम -

पता -

प्रतिलिपि सं. - 314076

आई.पी. - 10.70.244.252

दिनांक व समय - 01/Feb/2026 12:15:00 PM

नकल जारी करने का स्थान - पदमपुर

यू.एस.एन - 2814536487216538

[https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?](https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=2814536487216538)

usn=2814536487216538

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - SUSHIL KUMAR SAINI

पद - तहसीलदार

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 06/Apr/2021 05:26:00 PM



NIC

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : PADAMPUR

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-07-2022 2:38 PM

Fee Receipt No	: 202202277001838	Receipt Date	: 22/07/2022
Name	: PARMOD KUMAR KALA AUTH.E.O.,	Document S. No.	: 202201277001818
Address	: ...		
Document Type	: Lease Deed Free Hold		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 9690000
Ord-Registration Fee	: ₹ 300	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 30	Stamp Duty	: ₹ 100
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 630
		Total Amount	: ₹ 630

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 75207425 ₹ 500 # Stamp W150359 ₹ 650

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

पदमपुर
SUB-REGISTRAR




कार्यालय नगरपालिका पदमपुर

जिला श्रीगंगानगर (राज०)

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

संस्थानिक

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-क के तहत पट्टा विलेख




क्रमांक / न.पा.प. / प्र.श.संग अ.-2021 / 824

दिनांक 22/7/22

पट्टा धारक का नाम श्री कृष्णा विद्यालय प्रबन्धक समिति, पदमपुर जरिए सचिव / व्यवस्थापक कुनाल परनामी पुत्र श्री मनीष परनामी निवासी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज०) भूखण्ड सं. चक 23 बी.बी. के मुरब्बा नं. 03 में किला नं. 16/1 साईज 134' x 48'.2" व किला नं. 17/1 साईज 164'.7" x 140'.51" व किला नं. 18 साईज 165' x 165' कुल क्षेत्रफल 56825 वर्गफुट (5279.22 वर्गमीटर) में स्थित है।

नगरपालिका पदमपुर (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 22/7/22 को निष्पादित किया जाता है।



1.

2.

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

अधिसूची अधिकारी
नगरपालिका पदमपुर
अधिसूची अधिकारी
नगरपालिका, पदमपुर

अध्यक्ष
नगरपालिका पदमपुर
नगरपालिका, पदमपुर

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत / पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

शामिल दस्तावेज

उप पंजीकृत
पदमपुर



राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-क के तहत गैर-कृषि भूमि का समर्पण एवं फ्री होल्ड पट्टा नियम-2015 (मिश्रित फ्री होल्ड पट्टा विलेख की शर्तों)

पट्टा जारी करने का आधार/समर्पित किये गये दस्तावेज जिसके आधार पर यह पट्टा दिया जा रहा है।


1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निमित्त क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टाधारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में नगरपालिका मण्डल के निर्णयानुसार शुल्क देय होगा।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मॉर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टाकर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
8. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी।
9. पट्टा धारक द्वारा सभी प्रकार के प्रभारों का संदाय करना होगा, अभ्यर्पण से पूर्व भूखण्ड/भवन पर सभी प्रकार की देयता व वचनबद्धता प्रभारी रहेगी, भूखण्ड के पेटे कोई भी बकाया प्रभार वसूलनीय होगा।
10. यह पट्टा विलेख भूखण्ड का स्वामित्व का दस्तावेज है, भवन के निर्माण के नियमन व भवन निर्माण स्वीकृति का प्रमाण नहीं होगा।
11. अन्य

हैरिटेज भवनों हेतु अतिरिक्त शर्तें

1. भवनों के निर्माण, पुनः निर्माण जीर्वाधार करते हुए उस क्षेत्र के हैरिटेज स्वरूप का ध्यान में रखकर निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।
 2. ऐसे परम्परागत भवन जिनमें नीचे दुकानें और ऊपर आवासीय भवन चल रहे हैं ऐसे भवन मिश्रित भू-उपयोग की श्रेणी में मान्य होंगे।
 3. परम्परागत भवन जिनमें पारिवारिक बटवारे से भवन का मौके पर अर्जित हिस्सा/काबिज हो रखा है तथा एक ही भवन में प्रत्येक मंजिल पर हिस्सेदारी से काबिज है उनका विस्तृत साईट प्लान मय क्षेत्रफल के एं निर्मित क्षेत्रफल के अनुरूप पृथक से साईट प्लान इस पट्टे के साथ संलग्न है जो इस पट्टे का भाग है।
 4. शहर के चार दीवारी क्षेत्र में भवनों का निर्माण/पुनः निर्माण/जीर्वाधार हैरिटेज के मानदण्ड अनुरूप रखा जाना आवश्यक होगा।
 5. हैरिटेज महत्व के स्थलों व स्मारकों के आसपास के क्षेत्र के भवनों का निर्माण AS/Rajasthan State ASI के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप ही किया जा सकेगा।
 6. यह पट्टा स्वनिर्धारण के आधार पर दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए पट्टा धारक स्वयं जिम्मेदार होना।
- अन्य शर्तें आवश्यकतानुसार जोड़ी जा सकती है।**

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि :-

साईट प्लान




भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-


पूर्व : सड़क व अन्य भूखण्ड पश्चिम : अन्य भूखण्ड
उत्तर : अन्य भूखण्ड दक्षिण : अन्य भूखण्ड


पट्टा धारक के हस्ताक्षर :-

1. 
2.

साक्षी (1) :- 
हस्ताक्षर
नाम : अरुण कुमार शर्मा
जाति : शर्मा
पता : वार्ड नं. 6 पदमपुर

साक्षी (1) :- 
हस्ताक्षर
नाम : मनीष कुमार शर्मा
जाति : शर्मा
पता : वार्ड नं. 6 पदमपुर




अधिसाधी अधिकारी
नगरपालिका, पदमपुर


अध्यक्ष
नगरपालिका, पदमपुर

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



राजस्थान RAJASTHAN

W 150359

संलग्न पट्टा विलेख (फ्री होल्ड)

संस्थानिक

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2209 की धारा 69-क के तहत)

स्टांपस 500/-रु० सरचार्ज 150/-रु०

चक 23 बी.बी. के मुरबा नं० 03 में किला नं० 16/1 साईज 134' x 48'.2" व किला नं० 17/1 में साईज 164'.7" x 140'.51" व किला नं० 18 में साईज 165' x 165' कुल क्षेत्रफल 56825 वर्गफुट (5279.22 वर्गमीटर) का पर्जोयन करवाने हेतू।

श्री कृष्णा विद्यालय प्रबन्धक समिति, पदमपुर जरिए सचिव श्री कुनाल परनामी पुत्र श्री मनीष परनामी उम्र 27 वर्ष जाति अरोड़ा निवासी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज० ।
AADHAR NO. 8445 4841 0643

गवाहान एवं पहचानकर्ता

1. अरुण कुमार शर्मा पुत्र श्री होती लाल शर्मा उम्र 48 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं० 06 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज० ।
AADHAR NO. 5129 8007 7605
2. मनीष परनामी पुत्र श्री बलदेव राज परनामी उम्र 51 वर्ष जाति अरोड़ा निवासी 98 ए ब्लॉक पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज० ।
AADHAR NO. 2727 5474 9848

अधिसापी अधिकारी
नगरपालिका, पदमपुर

अध्यक्ष

नगरपालिका, पदमपुर

हस्ताक्षर विक्रेता सत्यजित कुमार शर्मा अनुपात्र सं० 14/05

परक सं० 38/3 दि० 11/6/2022 मुद्रांक वेल्थ

क्र० 5007/2022 विक्रेता का नाम कुशल पालिका

पति का नाम हनीश पालिका

हस्ताक्षर विक्रेता का नाम व पता हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के ह०

मुद्रांक विक्रेता के ह०

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रमाणित किया गया	
1. आवासीय आवासीय सुविधाओं हेतु (धारा 3-क) - 10 प्रतिशत	रकम... ₹ 500
2. गांधी कर्मचारी के सहाय और संरक्षण हेतु (धारा 3-क) - 10 प्रतिशत	रकम... ₹ 500
कुल योग	₹ 1000
हस्ताक्षर स्टाम्प वेल्थ: भा.स. सत्यजित कुमार शर्मा, लाईसेंस नं०: 14/05	

Presentation Endorsement

आज दिनांक 22 माह 07 सन 2022 को 02:32 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री PARMOD KUMAR KALA AUTH.E.O. पुत्र/पुत्री/पति श्री ERI
NAGARPALIKA PADAMPUR
उम्र 0 वर्ष, जाति , व्यवसाय
निवासी Nagar Palika
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202201277001818

Lease Deed Free Hold

हस्ताक्षर उप पंजीयक
PADAMPUR
पदमपुर

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202202277001838
दिनांक	22-07-2022
पंजीयन शुल्क ₹	300
प्रतिनिधि शुल्क ₹	0
मुद्रांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	500
कमी मरचार्ज शुल्क ₹	150
कुल योग	1150

202201277001818

Lease Deed Free Hold

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 75207425 ₹ 500 #
Stamp W150359 ₹ 650

उप पंजीयक, PADAMPUR
उप पंजीयक
पदमपुर

अधिसूत्री अधिकारी
नगरपालिका, पदमपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता

छायाचित्र

अंगूठा

पक्षकारों का प्रकार

1 श्री/श्रीमती/सुश्री PARMOD KUMAR KALA AUTH.E.O.,
पुत्र/पुत्री/पति श्री ERI NAGARPALIKA PADAMPUR, व्यवसाय
जाति
Nagar Palika




Presenter
Age : 0
Signature

Handwritten signature
अधिसायी अधिकारी
नगरपालिका, पदमपुर

2 श्री/श्रीमती/सुश्री SANT SHRI PRANNATH PARNAMI B ED
COLLEGE THROUGH SECRATORY KUNAL PARNAMI,
पुत्र/पुत्री/पति श्री MANISH PARNAMI, व्यवसाय Businessजाति O-
ARORA
House No.:00, Colony: PADAMPUR, Area: PADAMPUR,
City: Padampur, Pin code: 335041, District:
GANGANAGAR, State: RAJASTHAN



Claimant
Age : 26
Signature



ने लेख्यपत्र Lease Deed Free Hold को पढ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 0/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 0/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता

छायाचित्र

अंगूठा

हस्ताक्षर

1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री ARUN KUMAR SHARMA, पुत्र/पुत्री/पति
श्री HOTI LAL SHARMA जाति BRAHMAN
Age: 48
Add: House No.:00, Colony: PADAMPUR, Area: W.N.6
PADAMPUR, City: Padampur, Pin code: 335041, District:
GANGANAGAR, State: RAJASTHAN



Signature:

Handwritten signature of Arun Kumar Sharma

2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री MANISH PARNAMI, पुत्र/पुत्री/पति श्री
BALDEV RAJ PARNAMI जाति ARORA
Age: 51
Add: House No.:00, Colony: PADAMPUR, Area:
PADAMPUR, City: Padampur, Pin code: 335041, District:
GANGANAGAR, State: RAJASTHAN



Signature

Handwritten signature of Manish Parnami

202201277001818

Lease Deed Free Hold

उप पंजीयक, PADAMPUR

Handwritten signature
उप पंजीयक
पदमपुर


अधिसायी अधिकारी
नगरपालिका, पदमपुर

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 9690000 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 500 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 300, सरचार्ज राशि 150 कुल रु 950 रसीद संख्या 202202277001838 दिनांक 22-07-2022 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 500 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202201277001818

Lease Deed Free Hold

उप पंजीयक, PADAMPUR

उप पंजीयक
पदमपुर

Registration Endorsement

आज दिनांक 22/07/2022 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 570 में पृष्ठ संख्या 13 क्रम संख्या 202203277101047 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1306 के पृष्ठ संख्या 21 से 30 पर चस्पा किया गया।

202201277001818

Lease Deed Free Hold

उप पंजीयक, PADAMPUR

उप पंजीयक
पदमपुर

फोटो- कुनाल परनामी (पट्टाधारी/आंवटी)



फोटो गवाहान

अरुण कुमार शर्मा

मनीष परनामी



अधिकाारी
नगरपालिका, पदमपुर

अधिकाारी
नगरपालिका, पदमपुर

शाहिदा दस्तगैज
नगरपालिका
पदमपुर

कार्यालय नगरपालिका पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक :- 1091

दिनांक 28/01/2026

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का 23 बी.बी. के अनुसार चक 23 बी.बी. के मुरब्बा नं. 03 में किला नं. 16/1 साईज 134' X 48'.2" किला नं. 17/1 साईज 164'.7" X 140'.51 व किला नं. 18 साईज 165' X 165' कुल क्षेत्रफल 56825 वर्गफुट (5279.22 वर्गमीटर) चक 23 बी.बी. पदमपुर गैर मुमकिन शैक्षणिक जो कि श्री कृष्ण विद्यालय प्रबंधक समिति पदमपुर के नाम दर्ज है नगरपालिका पदमपुर शहरी क्षेत्र के वार्ड न. 15 में स्थित है।


(देवेन्द्र कौशिक)
अधिसापी अधिकारी
नगरपालिका पदमपुर

SITE PLAN OF SANT SRI PRANNATH PARNAMI P.G.COLLEGE

23 BB, JAITSAR ROAD , PADAMPUR

1	2	3	4	5
10	9	8	7	6
11	12	13	60 ft 60 Ft. Road	
			14	15
20	19	18	17	16
21	22	23	24	25

ROAD

JAITSAR

SITE PLAN OF CHAK 23 BB ,TEHSIL PADAMPUR SRI GANGA NAGAR

KHATA NO.13/115, MURABBA NO 03

KILA NO 3/2/.051 , 8/.253 , 13/.253 , 14/.218 , 15/2/.014 ,16/1/0.06 ,17/1/0.215 , 18/.253

Name Of Owner

Shri Krishan Vidhayalaya Parbandhak Samiti , Padampur

Sant Sri Prannath Parnami P.G. College , Padampur

Principal
PRINCIPAL
 Sant Sri Prannath Parnami PG College
 Padampur, Sri Ganganagar

N



फार्म- ब
देखिये नियम 9 (3), (4) और (6)

कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

क्रमांक : एफ 12 (3)(7) राज/ 117-118

दिनांक : - 18 मार्च 2019

-:संपरिवर्तन आदेश:- (संशोधित आदेश)

आवेदक श्री कृष्ण विद्यालय प्रबन्धक समिति गांव 23 बीबी तहसील पदमपुर श्रीगंगानगर व्यवस्थापक जिला श्रीगंगानगर के आवेदन पर उसकी खातेदारी भूमि चक 23 बी0 बी0 ग्राम पंचायत 23 बी0 बी0 तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर द्वारा अभिघृति मे धारित निम्न कृषि भूमि का राजस्थान भू- राजस्व (ग्रामिण.क्षेत्र में का अकृषित प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन वाणिज्यक (शिक्षण संस्थान) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार पदमपुर तथा अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड पदमपुर श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदित भूमि का संपरिवर्तन किया जाता है जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार है:-

- आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम
अनुसूचित जन जाति का सदस्य
है:- श्री कृष्ण विद्यालय प्रबंधक समिति, चक 23बीबी तहसील पदमपुर,
जिला श्री गंगानगर। जरिये बलदेव राज पुत्र श्री मुकन्द लाल
- क्या आवेदक अनुसूचित जाति या
अनुसूचित जन जाति का सदस्य
है: - नहीं
- संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :-
(क) ग्राम /ग्राम पंचायत/तहसील
का नाम 23 बी0 बी0 ग्राम पंचायत 23 बी0 बी0 तहसील पदमपुर
जिला श्री गंगानगर
(ख) भूमि का खसरा और प्रत्येक
खसरा का क्षेत्रफल (हैक्टर/
वर्गमीटर में):-

खाता संख्या	किला नम्बर	कुल भूमि
18/115, 18/18	3/2/0.051	0.8000 हैक्टर
	8/0.253, 13/1/0.126	
	14/1/0.045, /15/1/0.014	(8000 वर्गमीटर)

(ग) प्रत्येक खसरा के क्षेत्रफल को
उपदर्शित करते हुए। संपरिवर्तन
क्षेत्रफल (हैक्टर/वर्गमीटर)

खाता संख्या	किला नम्बर	कुल भूमि
18/115, 18/18	3/2/0.051	0.8000 हैक्टर
	8/0.253, 13/1/0.126	
	14/1/0.045, /15/1/0.014	(8000 वर्गमीटर)
- संपरिवर्तन का प्रयोजन :- वाणिज्यिक (शिक्षण संस्थान) प्रयोनार्थ
- संदेय प्रीमियम की दर :- 160/- रुपये प्रति वर्गमीटर
- चालान की संख्या तथा तारीख
सहित जमा कराई गई प्रीमियम की
रकम:-

चालान संख्या	दिनांक	रुपये
	12.01.11	2,48,100/-
1179	18.1.2011	5,24,251/-
	10.02.2011	1,96,200/-
1310	18.02.2011	3,14,200/-
- शास्ति, यदि कोई हो तो जमा
कराई गई शास्ति की रकम:- कुल सदये प्रीमियम 1282761/-

8. चलान की संख्या तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो , तो जमा कराई गई शास्ति की रकम : - शुन्य
9. क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है:- नहीं
10. अन्य विशिष्टि , यदि कोई हो:- --
11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 2. यदि आवेदक इस आदेश को जारी होने तारीख से 5 वर्ष कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा।
 3. नियम :- 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
 4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 5. शिक्षण संस्थान का निर्माण राष्ट्रीय सडक कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निर्धारित सडक सीमा के पश्चात किया जाएगा, भविष्य में सडक की चौड़ाई बढ़ाये जाने के दौरान यदि सडक सीमा में कोई निर्माण पाया जाता है तो उसे आवेदक को अपने खर्चे पर हटाना होगा तथा आवेदक द्वारा मुआवजा हेतु कोई क्लेम नहीं किया जायेगा।
 6. राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशो / आदेशो की पालना हेतु आवेदक बाध्य होगा।
 7. उपरोक्त सभी शर्तों की पालना प्रार्थी द्वारा की जावेगी। किसी भी शर्त के उलंघन की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। जिसके लिये प्रार्थी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा।



Seal of the Prescribed Authority

क्रमांक : - एफ 12(3/07) राज / 117-118

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर

दिनांक:- 18 मार्च 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक हेतु:-

1. श्रीमान मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग श्रीगंगानगर को प्रेषित कर निवेदन है कि आदेश में वर्णित सम्परिवर्तित रकबा की पानी की बारी कटवाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता को अपने स्तर कसे निर्देशित करने का श्रम करे।
2. तहसीदार (राजस्व) पदमपुर को उनके पत्रांक राजस्व /2019/4272 दिनांक 13.03.2019 के सन्दर्भ में भेज कर लेख है कि उक्त संपरिवर्तन आदेश का राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अंकन करना सुनिश्चित करें।
3. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड पदमपुर को उनके पत्र क्रमांक 372 दिनांक 14.03.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
4. ग्राम सेवक एवम् पदेन ग्राम पंचायत 23 बी0 बी0 तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर।
5. आवेदक श्री कृष्ण विद्यालय प्रबंधक समिति, चक 23बीबी तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। जरिये बलदेव राज पुत्र श्री मुकन्द लाल।
6. रक्षित पत्रावली।

(ओ.पी. जैम)
अति० जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर